

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: महत्त्व और चुनौतियाँ

प्रलिस के लिये

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

मेन्स के लिये

अल्पसंख्यकों के उत्थान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका, आयोग की चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

इसी वर्ष अक्टूबर माह में मनजीत सहि राय के सेवानिवृत्त होने के बाद सात सदस्यीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) मात्र एक सदस्य के साथ कार्य कर रहा है।

प्रमुख बदि

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में पाँच सदस्यों के पद मई माह से ही रक्ति थे, जबकि अक्टूबर माह में मनजीत सहि राय के सेवानिवृत्त होने के बाद कुल छह पद रक्ति हो गए थे।
- वर्तमान में आतफि रशीद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के उपाध्यक्ष और आयोग के एकमात्र सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।

नई नहीं है समस्या

- यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) कम सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है, वर्ष 2017 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के सभी सात पद दो महीनों के लिये रक्ति थे और आयोग बिना सदस्यों के कार्य कर रहा था।
- अनुसूचति जाती, अनुसूचति जनजाति, पछिडे वर्ग और अन्य अल्पसंख्यकों का प्रतनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में नयिकृतियों न करने को लेकर अकसर सरकार की आलोचना की जाती रहती है।
- वर्ष 2017 में दलिली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में नयिकृतियों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार की 'नषिक्रयिता' के वरुद्ध दायर याचिका पर केंद्र सरकार की प्रतकिरया मांगी थी।

प्रभाव

- एक महत्त्वपूर्ण नकियाय के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) भारत के अल्पसंख्यकों को प्रतनिधित्व प्रदान करता है, जसिसे उन्हें लोकतंत्र में अपने आप को प्रसतुत करने का अवसर मलिता है और जब आयोग में नयिकृतियों नहीं की जाती हैं तो यह प्रतीत होता है किलोकतंत्र और नीतनिरिमाण में अल्पसंख्यकों को प्रतनिधित्व का मौका नहीं दया जा रहा है।
- आयोग ने अतीत में कई महत्त्वपूर्ण सांप्रदायिक दंगों और संघर्षों की जाँच की है, उदाहरण के लिये वर्ष 2011 के भरतपुर सांप्रदायिक दंगों की जाँच आयोग ने की थी और वर्ष 2012 में बोडो-मुसलमि संघर्ष की जाँच के लिये भी आयोग ने एक दल असम भेजा था।
 - इसलिये यह आयोग सांप्रदायिक संघर्षों की जाँच करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता रहा है, कति आयोग की 'नषिक्रयिता' के कारण इस प्रकार की घटनाओं की जाँच पर प्रभाव पड़ता है, जसिसे लोगों के बीच अवशिवास की भावना उत्पन्न होती है।
 - वर्ष 2004 में सुमतिरा महाजन की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण पर स्थायी समति ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) को मजबूत करने के लिये कुछ वशिषिट सफिराशियों की थीं, जसिमें आयोग को जाँच के लिये अधिक शक्तियों प्रदान करना भी शामिल था, हालाँकि सरकार ने समति की इन सफिराशियों को लागू नहीं कया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

- अल्पसंख्यक आयोग एक सांवधिक नकियाय है, जसिकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधनियम, 1992 के तहत की गई थी।

- यह निकाय भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हतियों की रक्षा हेतु अपील के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **संरचना:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के मुताबिक, आयोग में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत कुल सात सदस्य का होना अनिवार्य है, जसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों के सदस्य शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य:**
 - संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
 - संविधान और संघ तथा राज्य के कानूनों में अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना;
 - अल्पसंख्यक समुदाय के हतियों की सुरक्षा के लिये नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सफ़ारिशें करना;
 - अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच पड़ताल करना;
 - अल्पसंख्यकों के वरिद्ध कसिी भी प्रकार के वभिद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना/करवाना और इन समस्याओं को दूर करने के लिये सफ़ारिश करना;
 - अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन अनुसंधान और विश्लेषण करना;
 - केंद्र अथवा राज्य सरकारों को कसिी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपायों को अपनाने का सुझाव देना;
 - केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों से संबंधित कसिी विषय पर विशिष्टतया कठनाइयों पर नयितकालिक अथवा विशिष्ट रिपोर्ट प्रदान करना;
 - कोई अन्य विषय जो केंद्र सरकार द्वारा उसे नरिदषिट कया जाए।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की चुनौतियाँ

- **प्रशासनिक चुनौतियाँ:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 13 के मुताबिक, आयोग को प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, जज्ञात हो कयिह रिपोर्ट वर्ष 2010 के बाद से अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है।
- **राजनीतिक नयिकृतियाँ:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में नयिकृत होने वाले सदस्यों को लेकर भी कई बार सरकार की आलोचना की जाती रही है, प्रायः पहले पूरव मुख्य न्यायाधीशों, सविलि सेवकों और शकिषाविदों आदि को सदस्य के तौर पर नयिकृत कया जाता था, कति अब अधिकतर नयिकृतियाँ कसिी एक दल विशिष्ट से जुड़े सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की होती हैं।
- **मानव संसाधन की कमी:** अल्पसंख्यक आयोग वर्षों से मानव संसाधन के अभाव में कार्य कर रहा है, जसके कारण आयोग का कार्य प्रभावित होता है और आयोग के समक्ष लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
- **प्रौद्योगिकी का अल्प उपयोग:** अल्पसंख्यक आयोग में आज भी मामलों की जाँच करने के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी के स्थान पर पारंपरिक तरीकों का प्रयोग कया जाता है, जसके कारण न केवल समय और पैसों की बरबादी होती है, बल्क इससे मामलों के निपटान में भी काफी समय लगता है।

संवैधानिक दर्जे की मांग

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये बनाए गए राष्ट्रीय आयोग के विपरीत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्क इसे वर्ष 1992 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित कया गया था।
 - प्रायः कसिी संवैधानिक निकाय में नहिति शक्ति और अधिकार कसिी सांविधिक निकाय में नहिति शक्तियों और अधिकारों से बहुत अलग होते हैं।
 - संवैधानिक निकायों के पास अधिक स्वायत्तता है और वे कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए उसकी जाँच कर सकते हैं।
 - हालाँकि सभी सांविधिक निकाय भी एक जैसे नहीं होते हैं, उदाहरण के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पास राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NMC) से अधिक शक्तियाँ हैं।
- यही कारण है कसिी समय-समय पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NMC) को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने तथा इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात की जाती रही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

